निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 793) पटना, शुक्रवार, 1 सितम्बर 2017

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 अगस्त 2017

सं० वि०स०वि०-26/2017-7409/वि०स०—''बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 23 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

राम श्रेष्ठ राय,

सचिव।

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017

[वि०स०वि०-23/2017]

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 का निरसन करने के लिए विधेयक।

भारत–गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।—

(1) यह अधिनियम बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त हो, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम 56, 1982) का निरसन।–बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम 56, 1982) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन होने पर भी (क) बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 के तहत गठित बिहार राज्य जल पर्षद् की सभी चल अचल आस्ति/सम्पत्ति, सभी प्रकार की देनदारी/दायित्व/वर्तमान में क्रियान्वित सभी परियोजनाओं एवं अनुबंध, विधिक मामलें तथा अन्य सभी प्रकार के अधिकार एवं दायित्व बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) में विलीन हो जायेंगे और बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) का ही भाग हो जायेंगे।

(ख) बिहार राज्य जल पर्षद्, के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी, जो तकनीकी, गैर तकनीकी, सरकार से प्रतिनियुक्त, संविदा एवं अन्य किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं, अपनी सेवा–शर्त्त के अनुरूप, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के ही कर्मी हो जायेंगे।

(ग) बिहार राज्य जल पर्षद् के सभी आस्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जायेगा और इसी प्रकार बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अपना मूल्यांकित हिस्सा प्राप्त करेगा तथा बिहार राज्य जल पर्षद के वास्तविक मूल्य के राशि के बराबर बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के हिस्से, मूल्यांकित राशि अथवा नामिक मूल्य यथा प्रिमियम पर अथवा वास्तविक मूल्य, जो भी अधिक हो, के आधार पर बिहार राज्यपाल के नाम पर निर्गत किया जायेगा।

3. व्यावृति।– ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त था जिस दिन वैसा कुछ किया गया था अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य में जलापूर्ति, मल–व्यवस्था और मलवहन निर्माण के विकास अनुरक्षण और विनियमन तथा उनसे सम्बद्ध विषयों के लिए जल और वाहित मल (सीवेज) बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने के लिए संपूर्ण राज्य में दिनांक–30.04.1982 से बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 लागू किया गया है। राज्य के नगर निकायों के जलापूर्ति, मल–व्यवस्था और मलवहन निर्माण के विकास अनुरक्षण और विनियमन के गुणवत्तायुक्त एवं सुचारू संचालन हेतु उक्त बोर्ड को संपूर्ण रूप से बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विलयन किये जाने हेतु ''बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 का निरसन आवश्यक हो गया है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(सुरेश कुमार शर्मा)
भार-साधक सदस्य ।

पटना,
दिनांक 23.08.2017

सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)793+571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in